उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-18/2015-सा-3-712/दस-2015-944/88

लखनऊ : दिनॉक : 23 सितम्बर, 2015

<u>विज्ञप्ति / संशोधन</u>

विज्ञप्ति संख्या-14/2015-सा-3-414/दस-2015-944/88, दिनॉक 24 जून, 2015 द्वारा गठित "पेंशनर सलाहकार समिति" एतदद्वारा निम्नानुसार पुनर्गठित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1)-	प्रमुख सचिव, वित्त	अध्यक्ष
(2)-	प्रमुख सचिव, न्याय	सदस्य
(3)-	प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
(4)-	प्रमुख सचिव, कार्मिक	सदस्य
(5)-	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
(6)-	अध्यक्ष संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, लखनऊ	सदस्य
(7)-	अध्यक्ष गर्वनमेण्ट पेंशनर्स वेल्फेयर आर्गनाईजेशन, लखनऊ	सदस्य
(8)-	अध्यक्ष पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान, लखनऊ	सदस्य
(9)-	अध्यक्ष, सचिवालय, पेंशनर्स वेल्फेयर एसोसियेशन, लखनऊ	सदस्य
(10)-	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर परिषद, लखनऊ	सदस्य
(11)-	अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
(12)-	श्री शिव प्रकाश, से0नि0, विशेष सचिव एवं निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
(13)-	निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।	सदस्य
(14)-	निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	सदस्य
(15)-	विशेष सचिव, वित्त(लेखा)	सदस्य
(16)-	विशेष सचिव, वित्त(सामान्य)अनुभाग-3	सदस्य

विज्ञप्ति दिनॉक 24 जून, 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2015-सा-3-712(1)/दस-2015, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- प्रमुख सचिव, वित्त/ गृह / न्याय/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा के निजी सचिव।

(2)- श्री शिव प्रकाश, (से0नि0) विशेष सचिव एवं निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

(3)- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(4)- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

(5)- प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

(6)- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(7)- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का समुचित प्रसार एवं प्रचार करा दें।

(8)- संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उ0प्र0, 51 मानस विहार, कुर्मान्चल नगर, लखनऊ।

(9)- गर्वनमेण्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाईजेशन, उ0प्र0, एच0आई0जी0, 80/23, रूचि खण्ड-1, शारदा नगर, लखनऊ।

(10)- उ0प्र0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, बी-1/81, सेक्टर "जी", अलीगंज, लखनऊ।

(11)- पी0सी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स एसोसियेशन, उ0प्र0, 32-बी, अग्निपथ, ए0डी0ए0 कालोनी, 07 सप्रू रोड, इलाहाबाद।

(12)- उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, 54 कैण्ट रोड, उदयगंज, लखनऊ।

(13)- उ0प्र0 पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान, 19/47, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(14)- सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, उ0प्र0 राजभवन, 630, अलंकार सिनेमा रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in